पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली वेबसाईट : http:/wwwpfcindia.com

सीआईएन एल65910डीएल1986जीओआई024862

दिनांक 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाली तिमाही और नौ माह के लिए अनंकेक्षित (स्टैंडअलोन) वित्तीय परिणामों का विवरण

(करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त होने वाली तिमाही के लिए			समाप्त होने वाले नौ माह के लिए		समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
		31-12-2015	30-09-2015	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2014	31-03-2015
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1)	प्रचालन से होने वाली आय						
	(क) ब्याज से होने वाली आय	6,870.58	6,891.40	6,284.26	20,471.30	18,254.92	24,586.10
	(ख) अन्य प्रचालन आय	120.60	130.62	90.26	297.19	216.83	275.22
	प्रचालन से कुल आय (निबल)	6,991.18	7,022.02	6,374.52	20,768.49	18,471.75	24,861.32
2)	व्यय						
	(क) ब्याज, वित्तीय और अन्य प्रभार (प्रावधानों सहित)	4,622.51	4,525.37	4,145.82	13,432.71	12,119.84	16,313.55
	(ख) कर्मचारी लाभ व्यय	23.48	22.43	21.00	68.94	66.39	85.81
	(ग) मूल्यह्रास और ऋणमोचन	1.68	1.45	1.46	4.43	4.49	6.09
	(घ) अन्य व्यय	11.11	12.47	57.01	180.19	116.20	123.12
	कुल व्यय	4,658.78	4,561.72	4,225.29	13,686.27	12,306.92	16,528.57
3)	अन्य आय और असाधारण मदों से पूर्व प्रचालन से लाभ (1-2)	2,332.40	2,460.30	2,149.23	7,082.22	6,164.83	8,332.75
4)	अन्य आय	2.82	2.07	3.70	8.66	13.56	45.48

5)	असाधारण मदों से पहले साधारण कार्यकलापों से लाभ (3+4)	2,335.22	2,462.37	2,152.93	7,090.88	6,178.39	8,378.23
6)	असाधारण मदें	--	--	--	--	--	--
7)	कर पूर्व साधारण कार्यकलापों से लाभ (5+6)	2,335.22	2,462.37	2,152.93	7,090.88	6,178.39	8,378.23
8)	कर संबंधी व्यय	752.90	767.07	611.20	2,237.05	1,779.82	2,418.90
	(क) आयकर के लिए प्रावधान						
	चालू वर्ष	735.95	716.07	618.87	2,145.22	1,817.79	2,502.42
	पूर्ववर्ती वर्ष	--	--	--	-0.43	--	0.46
	(ख) आस्थगित कर देयता / (आस्थगित कर परिसंपत्ति)	16.95	51.00	-7.67	92.26	-37.97	-83.98
9)	कर पश्चात साधारण कार्यकलापों से निबल लाभ (7-8)	1,582.32	1,695.30	1,541.73	4,853.83	4,398.57	5,959.33
10)	असाधारण मदें (कर संबंधी निबल व्यय - शून्य)	--	--	--	--	--	--
11)	अवधि के लिए निबल लाभ (9-10)	1,582.32	1,695.30	1,541.73	4,853.83	4,398.57	5,959.33
12)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य 10 रू. है)	1,320.04	1,320.04	1,320.04	1,320.04	1,320.04	1,320.04
13)	पुनर्मूल्यांकन संबंधी आरक्षित निधियों को छोड़कर आरक्षित निधियां (31 मार्च को अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार)	--	--	--	--	--	30,899.17

14)	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (अंकित मूल्य प्रत्येक 10 रू.) (वार्षिक आधार पर निर्धारित न किया गया)						
	(क) आधारभूत और तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों से पहले) (रू. में)	11.99	12.84	11.68	36.77	33.32	45.15
	(ख) आधारभूत और तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों के बाद) (रू. में)	11.99	12.84	11.68	36.77	33.32	45.15
	वित्तीय परिणामों के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें						

टिप्पणियाँ :-

1	दिनांक 31.12.2015 को समाप्त होने वाली तिमाही और नौ माह के लिए उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और उनकी दिनांक 09.02.2016 को आयोजित की गई संगत बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। ये वित्तीय परिणाम संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई सीमित समीक्षा के अध्यधीन हैं।

2	उपर्युक्त 2 (क) में उल्लिखित ब्याज, वित्तीय और अन्य प्रभारों में निम्नलिखित के संदर्भ में दिनांक 31.12.2015 को समाप्त होने वाली तिमाही और नौ माह के दौरान किए गए प्रावधान शामिल हैं : (i) गैर – निष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) क्रमश: 233.27 करोड़ और 292.00 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही और नौ माह में क्रमश: 0.57 करोड़ और 213.51 करोड़ रूपए करोड़ रू.)। (i i) मानक परिसंपत्तियां क्रमश: 7.90 करोड़ रूपए और 318.26 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही और नौ माह में क्रमश: 7.39 करोड़ और 8.46 करोड़ रूपए), (i i i) पुनर्गठितमानक परिसंपत्तियां क्रमश: 244.79 करोड़ रूपए और 461.77 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही और नौ माह में क्रमश: 146.24 करोड़ और 361.55 करोड़ रूपए); और (i v) निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान क्रमश: (3.07 करोड़ रूपए) और 40.19 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही और नौ माह में शून्य)। जहां तक आरबीआई की शर्तों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का संबंध है, तो कंपनी से प्रावधान को चरणबद्ध ढंग से दिनांक 31.03.2015 को 0.25% से बढ़ाकर 31.03.2018 तक 0.40% तक करने की अपेक्षा है। कंपनी ने दिनांक 30.09.2015 को समाप्त तिमाही के दौरान मानक ऋण परिसंपत्तियों (बकाया पुनर्गठित मानक ऋण परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर प्रावधान को 0.25% से बढ़ाकर 0.40% कर दिया है।

3	कंपनी को एक सरकार के स्वामित्व वाली एक गैर बैंकिंग कंपनी होने के नाते सर्वोच्च शर्तों से संबंधित आरबीआई के निर्देशों से छूट प्राप्त है और यह इस संबंध में विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा अनुमोदित अपनी स्वयं की सर्वोच्च शर्तों का अनुपालन करती है। आरबीआई ने अपने दिनांक 25.07.2013 के पत्र के जरिए कंपनी को क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म्स और पुनर्गठन / पुनर्अनुसूचियन / पुन: मोलभाव (आर / आर / आर) से संबंधित सरकार, जिसके लिए अलग से निर्देश जारी किए गए हैं, को छोड़कर दिनांक 31.03.2016 से आरबीआई की सर्वोच्च शर्तों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु निदेश दिया है। क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म्स के लिए आरबीआई ने अपने दिनांक 03.04.2014 के पत्र के जरिए केंद्र / राज्य सरकार के निकायों को एक्सपोजर के संबंध में 31.03.2016 तक छूट देने की अनुमति दी है। आर/आर/आर संबंधी शर्तों के लिए आरबीआई ने कंपनी को अपने दिनांक 03.04.2014 के पत्र के जरिए आरबीआई के दिनांक 23.01.2014 के परिपत्र संख्या डीएनबीएस. सीओ. पीडी. संख्या 367 / 03.10.01 / 2013-14 में निहित अनुदेशों का अनुपालन करने की सलाह दी है, साथ-ही-साथ डीसीसीओ, जिसके लिए किसी ऋण को पुनर्गठित किया जा सकता है, में विलंब की अधिकतम अवधि की अनुमति दी है। आरबीआई की आर/आर/आर संबंधी शर्तों के लागू होने से संबंधित मामले को आरबीआई के साथ उठाया गया । इस संबंध में आरबीआई ने अपने दिनांक 11.06.2014 के पत्र के जरिए पारेषण और वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा परियोजना जीवनकाल विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं और हिमालयी क्षेत्र में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तीन वर्ष की अवधि अर्थात 31.03.2017 तक अपनी पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू करने से छूट प्रदान की है। इसके अलावा आरबीआई ने अपने दिनांक 11.06.2014 के पत्र के माध्यम से यह निर्देश दिया है कि 01.04.2015 से पुनर्गठित उत्पादन कंपनियों के नए परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान की आवश्यकता 5% होगी और सभी उत्पादन कंपनियों के लिए 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार ऐसे बकाया ऋणों के स्टॉक के लिए दिनांक 31.03.2015 से 2.75% के प्रावधान के साथ प्रोविजनिंग शुरू की जाएगी, जो दिनांक 31.03.2018 तक 5% तक पहुंच जाएगी। यह प्रावधान अंकित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के अलावा किया गया है। कंपनी ने अपने दिनांक 03.07.2014 के पत्र के जरिए आरबीआई को अपने कार्यान्वयन के ढंग के बारे में सूचित किया है, जिसे कंपनी ने अपने दिनांक 27.11.2014 के पत्र के जरिए फिर से दोहराया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि उत्पादन कंपनियों को दिनांक 01.04.2015 से स्वीकृत किए गए सभी नए परियोजना ऋणों को आरबीआई की आर / आर/ आर संबंधी शर्तों के आधार पर विनियमित किया जाएगा। आरबीआई ने अपने दिनांक 04.02.2015 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि कंपनी के इस अनुरोध की जांच की जा रही है।

	आर/आर/आर संबंधी शर्तों के कार्यान्वयन के संबंध में आरबीआई द्वारा निर्णय लंबित होने के कारण कंपनी उपर बताए गए अनुसार कार्यान्वयन के ढंग के साथ पठित अपनी स्वयं की शर्तों का अनुपालन कर रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी को अर्हक आर/आर/आर ऋण परिसंपत्तियों पर 0.75% तक का अतिरिक्त प्रावधान करने अर्थात मौजूदा प्रावधान को 2.75% से 3.50% तक बढ़ाने की आवश्यकता है और उसे कंपनी द्वारा बनाए रखा जा रहा है। उपर्युक्त प्रावधान को चालू तिमाही के दौरान ही 0.75% तक अर्थात 3.50% से 4.25% तक बढ़ा दिया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आवश्यक था। तदनुसार दिनांक 31.12.2015 को समाप्त तिमाही के दौरान 244.79 करोड़ रूपए (पूर्ववर्ती वर्ष की संगत तिमाही के दौरान 146.24 करोड़ रूपए) का प्रावधान किया गया है। तदनुसार दिनांक 31.12.2015 को समाप्त नौवें माह में 461.77 करोड़ रूपए (पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि के दौरान 361.55 करोड़ रूपए) का प्रावधान किया गया है। दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार अर्हक आर/आर/आर ऋणों की बकाया राशि निजी क्षेत्र के लिए 21,905.03 करोड़ रूपए और सरकारी क्षेत्र के लिए 2,241.04 करोड़ रूपए (दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र के लिए 20,524.91 करोड़ रूपए और सरकारी क्षेत्र के लिए शून्य) है।

4	आरबीआई के परिसंपत्ति वर्गीकरण पर दिनांक 30.06.2015 और 10.12.2015 के निर्देशों के संबंध में कंपनी की सर्वोच्च शर्तों को आरबीआई के दिनांक 10.11.2014 के परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 002/03.10.001/2014-15 में यथाविहित परिसंपत्ति वर्गीकरण संबंधी शर्तों के अनुरूप उपयुक्त ढंग से संशोधित कर लिया गया है। आरबीआई की परिसंपत्ति वर्गीकरण संबंधी शर्तों के प्रचालन हेतु कंपनी ने अपने दिनांक 13.08.2015 और 13.01.2016 के पत्र के जरिए आरबीआई को अपनी समझ के बारे में सूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि ऋण परिसंपत्तियों (पट्टे पर परिसंपत्तियों को छोड़कर), जो 31.03.2016 को देय हैं और 5 माह या उससे अधिक अवधि के लिए अधिदेय हैं, को गैर निष्पादन वाली परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, तदनुसार अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई है, की गणना वर्ष के अंत में की जाएगी।
5	दिनांक 15.04.2015 को कंपनी द्वारा उप मानक के रूप में वर्गीकृत की गई पुनर्गठित एक ऋण परिसंपत्ति के मामले में ऋणकर्ता ने दिनांक 17.06.2015 के आदेश के जरिए माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास से इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई पर अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया है। दिनांक 11.01.2016 को आयोजित की गई पिछली सुनवाई में मामले को स्थगित कर दिया गया है और तदनुसार स्टे जारी है। कंपनी ने परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में एक कानूनी दृष्टिकोण प्राप्त किया था, जिसके आधार पर ऋण परिसंपत्ति को पुनर्गठित उप मानक परिसंपत्ति के बजाय पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया और दिनांक 30.06.2015 को समाप्त तिमाही के दौरान खाते में किए गए 339.99 करोड़ रूपए की राशि वाले एनपीए प्रावधान को उसी तिमाही में प्रत्यावर्तित किया गया है।
6	चालू तिमाही के दौरान झारखंड राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के विकास हेतु कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड की स्थापना की गई है। इस सहायक कंपनी में इक्विटी निवेश अभी किया जाना है।
7	कंपनी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा वाली धन संबंधी मदों पर उनकी कार्यावधि के दौरान विनिमय संबंधी अंतर को ऋणमोचित करती है। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा धन संबंधी मद परिवर्तन अंतर खाता (एफसीएमआईटीडीए) के तहत ऋणमोचित डेबिट बैलेंस 663.87 करोड़ रूपए (दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार डेबिट बैलेंस 380.56 करोड़ रूपए) है ।
8	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दिनांक 08.10.2015 को अपनी प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 6% की दर से अर्थात प्रत्येक 10 रूपए के इक्विटी शेयर पर 0.60 रूपए के अंतिम लाभांश के रूप में 79.20 करोड़ रूपए का भुगतान किया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए भुगतान किया गया कुल लाभांश प्रत्येक 10 रूपए के इक्विटी शेयर पर 9.10

	रूपए प्रति शेयर रहा।
9	निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 16.12.2015 को आयोजित 341वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रदत्त इक्विटी पूंजी पर 88% की दर से अंतरिम लाभांश अर्थात प्रत्येक 10 रूपए के इक्विटी शेयर पर 8.80 रूपए प्रति शेयर के लाभांश के रूप में 1161.46 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान करने की घोषणा की। इस अंतरिम लाभांश का भुगतान दिनांक 04.01.2016 को किया गया। निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 09.02.2016 को आयोजित 343वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रदत्त इक्विटी पूंजी पर 45% की दर से दूसरे अंतरिम लाभांश अर्थात प्रत्येक 10 रूपए के इक्विटी शेयर पर 4.50 रूपए प्रति शेयर के लाभांश के रूप में 594.02 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान करने की घोषणा की। इस अंतरिम लाभांश का भुगतान दिनांक 24.02.2016 को ऐसे शेयरधारकों को किया गया, जिनका नाम दिनांक 17.02.2016 की रिकॉर्ड तारीख को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर (भोतिक / इलेक्ट्रॉनिक रूप में) में दर्ज थे। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कुल अंतरिम लाभांश कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 133% अर्थात प्रत्येक 10 रूपए के इक्विटी शेयर पर 13.30 रूपए प्रति शेयर रहा।
10	कंपनी ने एकीकृत रूप से 700 करोड़ रूपए की राशि वाले प्रत्येक 1000 रूपए के अंकित मूल्य पर 70,00,000 कर मुक्त बांड का एक सार्वजनिक इश्यू जारी किया है। बांड का आवंटन दिनांक 17.10.2015 को किया गया और बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), में उन्हें दिनांक 20.10.2015 को सूचीबद्ध किया गया। बांड इश्यू जारी करने से प्राप्त राजस्व का सदुपयोग प्रस्तावित दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए किया गया।
11	कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-17 'खंड रिपोर्टिंग' के संदर्भ में केवल प्राथमिक व्यापार फंड के रूप में माना जाता है। अत: इस संबंध में खंडात्मक रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।
12	दिनांक 31.12.2015 को समाप्त तिमाही के लिए आंकड़े दिनांक 31.12.2015 को समाप्त नौ माह की अवधि के लिए अनंकेक्षित आंकड़ों और दिनांक 30.09.2015 को समाप्त छमाही के लिए अनंकेक्षित आंकडों के बीच संतुलित आंकड़े हैं।

13	संवर्ती अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए आवश्यक होने पर पूर्ववर्ती अवधि के लिए आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध / पुनः वर्गीकृत किया गया।

एम. के. गोयल

स्थान : नई दिल्ली

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 09.02.2016

डीआईएन - 00239813